

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002872011

दांडिक प्रकरण क.-306 / 11

संस्थापित दिनांक-29.07.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>
<div>विरुद्ध</div>
01-दिमान सिंह पुत्र कन्हैयाराम लोधी उम्र 46 साल निवासी मढखेडा 02-देवीसिंह पुत्र दिमान सिंह लोधी उम्र 23 साल निवासी मढखेडा 03-बृजभान पुत्र दिमान सिंह लोधी उम्र 21 वर्ष निवासी मढखेडा। <div>.....आरोपीगण</div>
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री जाफरी अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 26.05.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324, 323, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी श्रीबाई ने दिनांक 14.03.11 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को करीब 5 बजे उसका लडका तिलकसिंह जामुन वाले खेत की रखवाली कर रहा था और वह बगल वाले खेत में रखवाली कर रही थी। तभी गांव के दिमान सिंह लोधी की भैंसें उसके खेत में घुसकर चना खाने लगी तो उसका लडका तिलकसिंह ने भैंसें भगाईं फिर देवीसिंह आया और बोला कि उसकी भैंसें क्यों भगाईं और उसके लडके की लाठी से मारपीट करने लगा। वह दौड़कर बचाने गई तो देवीसिंह ने एक लाठी उसकी पीठ में मारी जिससे उन्हें चोट आई। फिर दिवान सिंह आया और उसके सिर में हंसिया मार दिया जिससे चोट आकर खून निकल आया और बृजभान ने उसकी लात-घूंसों से मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 136/11 के अंतर्गत भादवि की धारा 323, 324, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 323/34, 324/34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपीगण ने बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 14.03.2011 को समय 11.00 बजे फरियादिया श्रीबाई के जामुन वाले खेत ग्राम मरखेडा पर फरियादी

तिलकसिंह की सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट की तथा उसे बचाने आई उसकी मां श्रीबाई एवं उषाबाई की भी मारपीट कर साधारण उपहति कारित की ?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादिया श्रीबाई की धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशुद्ध एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 श्रीबाई, अ.सा. 02 तिलक सिंह, अ.सा. 03 उषाबाई, अ.सा. 04 श्यामलाल, अ.सा. 05 डॉ एम एल खरका, अ.सा. 06 पहलवान, अ.सा. 07 शालिकराम की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। आरोपीगण की ओर से अपने बचाव साक्षी के रूप में ब.सा. 01 भूरीबाई, ब.सा. 02 सीताराम की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 श्रीबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार उनके खेत में आरोपीगण की भैंस दूध दूंस गई थी और जब उसने कहा कि भैंस भगा दो तब कम्मोबाई उसके लडके तिलकसिंह व उषा से चेंट गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार कम्मो की मां भूरी ने उसे हंसिया मारा था तथा उसके लडके को कम्मो ने डंडे से मारा था। उक्त साक्षी के अनुसार बृजभान ने हंसिया दिया था तथा देवीसिंह ने तिलकसिंह की लाठी से मारपीट की थी। उक्त साक्षी के अनुसार बृजभान ने उसे लात-घूसों से मारा था और उषाबाई को भी मारा था। अ.सा. 02 तिलकसिंह ने अपने कथन में बताया है कि आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी और उसकी मां को हंसिया से मारा था। अ.सा. 02 के

अनुसार उसके सामने आरोपीगण ने श्यामलाल से मारपीट नहीं की। अ.सा. 03 उषाबाई ने भी अपने कथन में बताया है कि तिलकसिंह को देवीसिंह ने लाठी से मारा था तथा भूरीबाई हंसिया से उसके पति को मार रही थी और उसने बीच बचाव किया तो उसकी उंगली में भी चोट आई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसके सामने आरोपीगण ने उसके पति के साथ मारपीट की थी तथा श्रीबाई को भूरीबाई ने हंसिया से मारा था।

08— अ.सा. 04 श्यामलाल ने अपने कथन में बताया है कि देवीसिंह ने लाठी से मारपीट की थी तथा बृजभान ने उषाबाई की अंगुली में हंसिया मार दिया था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण ने श्रीबाई, उषाबाई एवं तिलकसिंह की मारपीट की थी। अ.सा. 04 के अनुसार उसके समक्ष मारपीट हुई थी तथा आरोपीगण घटनास्थल पर ही थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसने झगड़े को देखा था और बीच बचाव किया था। अ.सा. 06 पक्षद्रोही हो गया है तथा उक्त साक्षी के अनुसार उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है।

09— अ.सा. 05 डॉ एम एल खरका ने अपने कथन में बताया है कि उनके द्वारा दिनांक 15.03.11 को श्रीबाई का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसमें उसके शरीर पर चार चोटें आई थीं जिसमें से चोट क्रमांक 01 किसी धारदार वस्तु से पहुंचाई गई थी। उक्त मेडिकल रिपोर्ट प्रपी 01 है। उक्त साक्षी के अनुसार उनके द्वारा उक्त दिनांक को ही आहत तिलकसिंह का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसमें उसके शरीर पर पांच चोटें आई थीं जिसकी रिपोर्ट प्रपी 02 है। उक्त साक्षी के अनुसार उनके द्वारा उक्त दिनांक को ही आहत उषाबाई का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसमें उसके शरीर पर एक चोट आई थी जिसकी रिपोर्ट प्रपी 03 है। अ.सा. 07 जो कि मामले का विवेचक है ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 05 लेखबद्ध की गई थी तथा नक्शामौका प्रपी 06 तैयार किया गया था एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे।

10— अभियोजन द्वारा अभिलेख पर जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसके

अवलोकन से प्रकट होता है कि अ.सा. 01 लगायत अ.सा. 04 ने स्पष्ट रूप से अपने कथनों में बताया है कि उक्त घटना दिनांक को फरियादी के खेत में भैंस घुस गई थी जिसे नहीं भगाने पर आरोपीगण द्वारा मारपीट की गई थी। मामले के आहत अ.सा. 01 के अनुसार देवीसिंह और बृजभान ने मारपीट की थी तथा अ.सा. 02 के अनुसार आरोपीगण ने उसके साथ एवं उसकी मां के साथ मारपीट की थी। अ.सा. 03 ने भी अपने कथन में बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण में से देवीसिंह व बृजभान ने मारपीट की थी। अ.सा. 04 की साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि आरोपीगण ने तिलकसिंह, उषाबाई, श्रीबाई के साथ मारपीट की थी। अ.सा. 01 श्रीबाई ने स्पष्ट रूप से अपने कथनों में बताया है कि उसके साथ दिमान एवं देवीसिंह ने कोई घटना कारित नहीं की। अ.सा. 01 के अनुसार बृजभान ने हंसिया दिया था। अ.सा. 05 की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि आहत श्रीबाई को आई चोट किसी धारदार हथियार से आई थी। इस प्रकार अ.सा. 01 की साक्ष्य की संपुष्टि अ.सा. 05 की साक्ष्य से हो रही है, किंतु उल्लेखनीय है कि अ.सा. 01 ने स्पष्ट रूप से बताया है कि दिमान व देवीसिंह ने कोई घटना कारित नहीं की। यद्यपि अ.सा. 02 ने कथन किया है कि आरोपीगण ने हंसिया से उसकी मां को मारा था, किंतु अ.सा. 03 एवं अ.सा. 04 ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि सभी आरोपीगण ने हंसिए से श्रीबाई के साथ मारपीट की थी। आहत श्रीबाई तथा अन्य आहतगण की साक्ष्य में हंसिए से मारने के संबंध में विरोधाभास है। सभी साक्षीगण की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आहत श्रीबाई को बृजभान ने हंसिए से मारा था या बृजभान ने हंसिया मारने के लिए दिया था। आहत श्रीबाई ने स्वयं इस बात से इंकार किया है कि आरोपी देवीसिंह व दिमान सिंह ने उसके साथ मारपीट की थी। इस प्रकार आहत श्रीबाई को हंसिए से मारने की संबंध में सभी आरोपीगण का सामान्य आशय प्रमाणित नहीं होता तथा मात्र यह प्रमाणित होता है कि आरोपी बृजभान द्वारा हंसिए से मारपीट की गई या हंसिया प्रदान किया गया।

11— जहां तक आहत तिलकसिंह, श्रीबाई एवं उषाबाई की लाठी से मारपीट का प्रश्न है तो इस संबंध में अ.सा. 02 तिलकसिंह, अ.सा. 03 उषाबाई तथा अ.सा. 04

श्यामलाल की साक्ष्य न केवल स्पष्ट है, बल्कि अखंडनीय भी है। तीनों साक्षीगण की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि तीनों आरोपीगण ने तीनों आहतगण के साथ मारपीट की थी। उक्त तथ्य की संपुष्टि अ.सा. 05 की साक्ष्य से भी हो रही है जिससे यह प्रमाणित होता है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा उक्त आहतगण के साथ मारपीट की गई थी। जहां तक बचाव साक्ष्य का प्रश्न है तो आरोपीगण की ओर से ब.सा. 01 भूरीबाई तथा ब.सा. 02 सीताराम की साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। ब.सा. 02 के अनुसार वह आरोपीगण के कहने से कथन कर रहा है और जहां तक ब.सा. 01 की साक्ष्य का प्रश्न है तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अ.सा. 01 ने अपने कथनों में ब.सा. 01 भूरीबाई के विरुद्ध कथन किया है। उक्त साक्षी के अनुसार भूरीबाई ने भी उसके साथ हंसिए से मारपीट की थी। इस प्रकार ब.सा. 01 की साक्ष्य पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं है।

12— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि तीनों आरोपीगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत तिलकसिंह, श्रीबाई एवं उषाबाई के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई। अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी दिमान सिंह एवं देवीसिंह द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी श्रीबाई के साथ धारदार हथियार से मारपीट की गई। अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी बृजभान द्वारा श्रीबाई के साथ धारदार हथियार से मारपीट कर साधारण स्वेच्छया उपहति कारित की गई। परिणामतः आरोपी दिमान सिंह एवं देवीसिंह को भादवि की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी बृजभान को भादवि की धारा 324 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है तथा तीनों आरोपीगण को भादवि की धारा 323/34 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

13— आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया

गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला-अशोकनगर

पुनश्च:-

14. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री जाफरी का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपीगण का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध उक्त अपराध कारित किया गया है तथा आहतगण को कई चोटें आई हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

15. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपीगण को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपीगण को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि उनके द्वारा हिंसा का मार्ग अपनाया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में तीनों आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 323/34 के अपराध में 15-15 दिवस के साधारण कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण तीन-तीन दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपी बृजभान को भा.द.वि.

की धारा 324 के अपराध में तीन माह के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। आरोपी बृजभान को दिया गया दंडादेश एक साथ भुगताए जाएंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

16. आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

17. प्रकरण में जप्तशुदा हसिया मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट किया जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

18. आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

19. आरोपीगण का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)